समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 26 August 2026

सलमान खान फायरिंग केस मे बड़ा मोड़! कोर्ट मे संरेडंर करना चाहता है अनमोल बिश्नोई, मुंबई अदालत से मांगी अनुमति

Sanket Morankar

Published on 03 Jul 2026

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हुई फायरिंग मामले में एक बड़ा कानूनी मोड़ सामने आया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई **अनमोल बिश्नोई** ने इस मामले में मुंबई की विशेष **महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA)** अदालत के सामने सरेंडर करने की इच्छा जताई है।

अनमोल बिश्नोई ने अदालत में याचिका दायर कर अनुरोध किया है कि उसे इस मामले में औपचारिक रूप से सरेंडर करने की अनुमति दी जाए।

कोर्ट से मांगी सरेंडर की अनुमति

जानकारी के मुताबिक, अनमोल बिश्नोई इस समय दिल्ली की **तिहाड़ जेल** में बंद है। उसने अदालत को लिखे अपने आवेदन में कहा है कि वह निष्पक्ष सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना चाहता है।

याचिका में उसने अदालत से तिहाड़ जेल प्रशासन के नाम **प्रोडक्शन वारंट** जारी करने की भी मांग की है, ताकि उसे मुंबई लाकर अदालत के समक्ष औपचारिक रूप से पेश किया जा सके और उसका सरेंडर दर्ज किया जा सके।

फिलहाल NIA की हिरासत में है अनमोल

अनमोल बिश्नोई को नवंबर 2025 में अमेरिका से भारत लाया गया था। भारत पहुंचने के बाद **राष्ट्रीय जांच एजेसी (NIA)** ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।

वह फिलहाल एनआईए के एक अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। इसी वजह से बिना अदालत के आदेश के वह मुंबई की अदालत में पेश नहीं हो सकता।

कोर्ट ने मांगा सरकारी पक्ष का जवाब

इस मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश **एस.आर. नवेदंर** ने अनमोल बिश्नोई की याचिका पर सरकारी पक्ष से जवाब मांगा है।

याचिका में कहा गया है कि यदि अदालत सरेंडर की अनुमति देती है, तो इससे अभियोजन पक्ष को किसी प्रकार की कानूनी परेशानी नहीं होगी और मुकदमे की कार्यवाही भी सुचारु रूप से आगे बढ़ सकेगी।

तीन गवाहों के बयान हो चुके हैं दर्ज

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि सलमान खान फायरिंग मामले की सुनवाई पहले से जारी है और अब तक **तीन गवाहों के बयान दर्ज** किए जा चुके हैं।

अनमोल का कहना है कि वह कानून की प्रक्रिया का सम्मान करते हुए इस मुकदमे का सामना करना चाहता है।

क्या था पूरा मामला?

14 अप्रैल 2024 की सुबह दो मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने मुंबई के बांद्रा स्थित **गैलेक्सी अपार्टमेटं**, जहां सलमान खान रहते हैं, के बाहर कई राउंड फायरिंग की थी।

घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे। इस हमले ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी।

मुंबई पुलिस की जांच में सामने आया कि इस हमले के पीछे **लॉरेंस बिश्नोई गैगं** का हाथ होने का आरोप है। मामले में **मकोका** के तहत कार्रवाई की गई।

कई आरोपी पहले से न्यायिक हिरासत में

इस मामले में शूटर **विक्की गुप्ता** और **सागर पाल** के अलावा **सोनू कुमार बिश्नोई**, **मोहम्मद रफीक चौधरी** और **हरपाल सिंह** सहित कई आरोपियों पर मुकदमा चल रहा है।

सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और मामले की सुनवाई विशेष अदालत में जारी है।

अब अदालत के फैसले पर नजर

अनमोल बिश्नोई की ओर से दायर इस याचिका के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। अब सभी की निगाहें मुंबई की विशेष मकोका अदालत के अगले फैसले पर टिकी हैं कि क्या उसे इस हाई-प्रोफाइल मामले में औपचारिक रूप से सरेंडर करने की अनुमति दी जाएगी या नहीं।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.